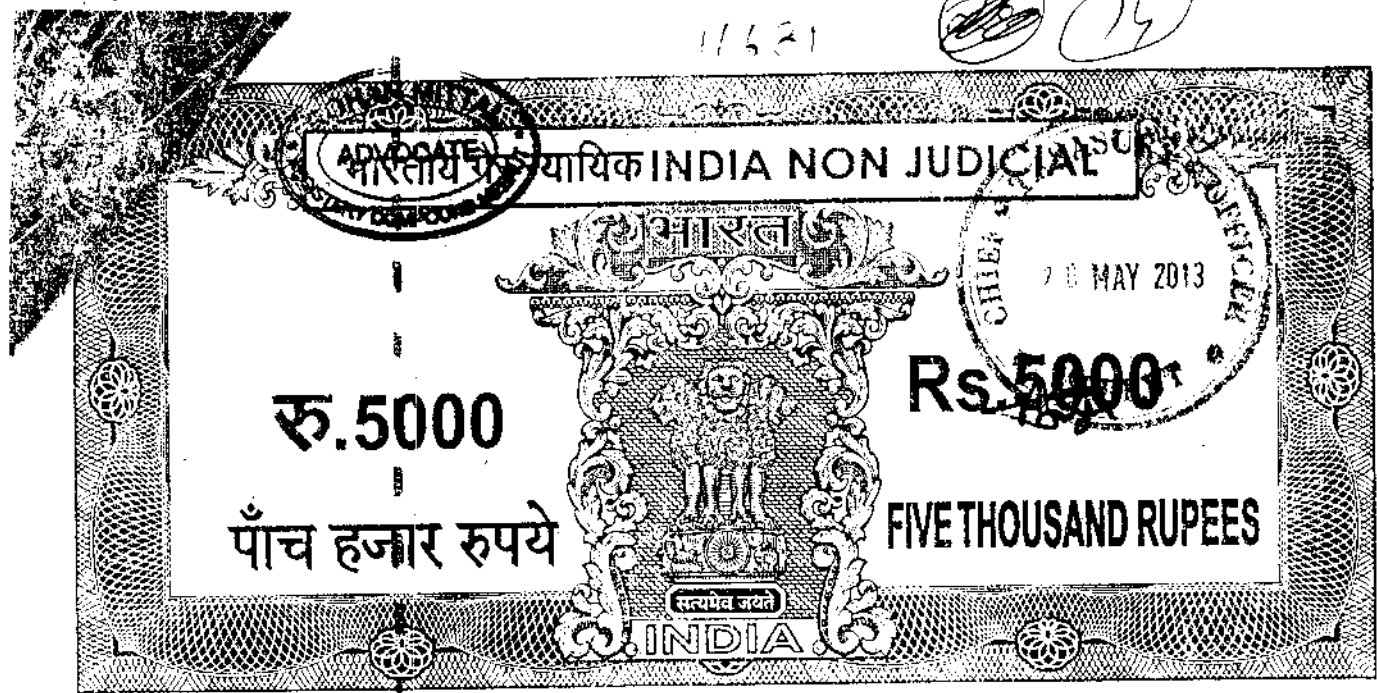




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 924204

[1]



कार्यालय सब रजिस्ट्रार द्वितीय, मेरठ
विक्रय पत्र का संक्षिप्त विवरण

- 1- भूमि का प्रकार :- कृषि भूमि
- 2- वार्ड परगना :- मेरठ
- 3- मौहल्ला/ग्राम :- ग्राम मौहम्मदपुर गूमी, परगना
तहसील व जिला मेरठ
- 4- सम्पत्ति का विवरण :- खसरा नम्बरान-12, 16, 19/6,
22, 23, 26, 30/8, 35, 83/6, 84/10 में से

नरेश कुमार सतेन्द्र कुमार



2

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 924205

[2]

- 5- मापन की इकाई :- हैक्टेयर
- 6- सम्पत्ति का क्षेत्रफल:- 0.1443 हैक्टेयर
- 7- सम्पत्ति का प्रकार:- कृषि
- 8- पेड़ों का मूल्यांकन :- नहीं
- 9- वोरिंग/कुंआ/अन्य:- नहीं
- 10- बैनामा विक्रय मूल्य व सर्किल रेट के अनुसार मूल्य अंकन
28,86,000/- रुपये

विक्रीत भूमि-भूमिधारी अर्द्धनगरीय क्षेत्र में स्थित है।

बैनामा विक्रय मूल्य व सर्किल रेट के अनुसार मूल्य अंकन
28,86,000/- रुपये

नरेंद्र कुमार

सतेन्द्र कुमार

(Signature)



ल
श्री
ल
रट



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 924206

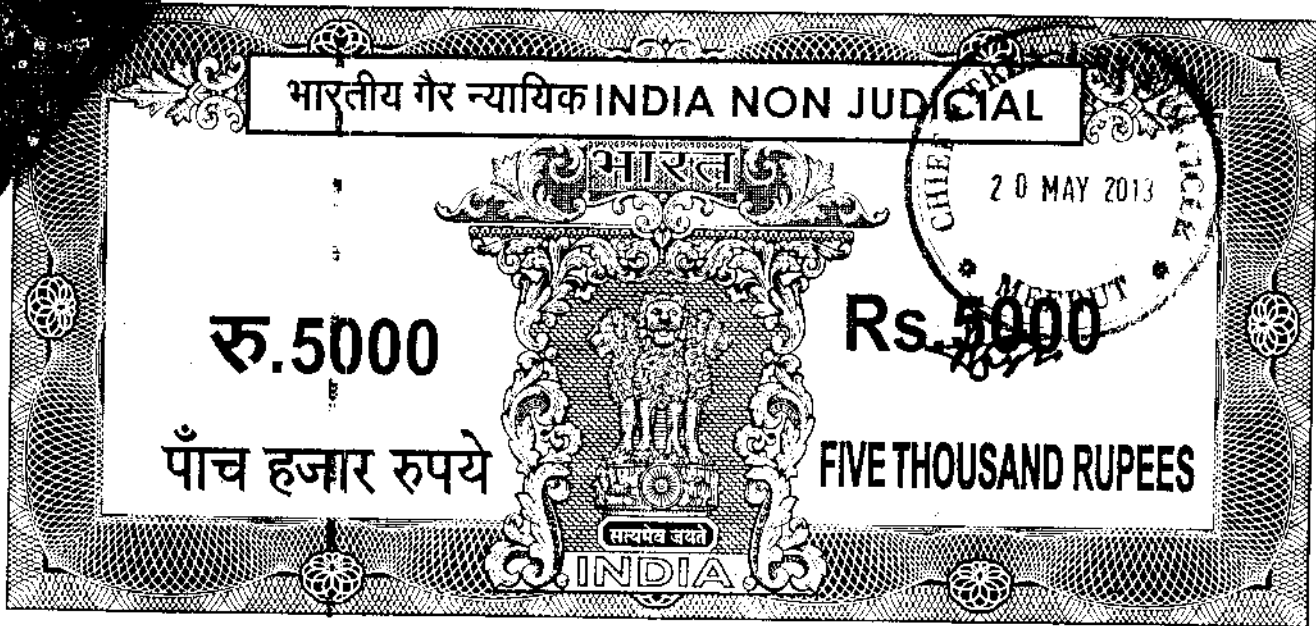
[3]

स्टाम्प शुल्क मय आवास शुल्क अंकन-2,02,200/- रुपये जिसमें से अंकन 1,53,000/- रुपये का स्टाम्प द्वारा इकरारनामा मय कब्जा रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 24.01.2012ई0 जिसकी रजिस्ट्री वही नम्बर-1 जिल्द संख्या-5756 के पृष्ठ संख्या-349/374 में दस्तावेज नम्बर-1000 पर दिनांक 24.01.2012ई0 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार मेरठ द्वितीय में हुई, तथा शेष अंकन 49,200/- रुपये के स्टाम्प पर यह वैनागा तैयार किया गया है। इस प्रकार कुल स्टाम्प अंकन 2,02,100/- रुपये प्लस अंकन 100/- रुपये का हो गया है।

- 1- विक्रीत भूमि-भूमिधरी का क्षेत्रफल 0.1443 हेक्टेयर है।
- 2- विक्रीत भूमि कृषि भूमि है और अन्य प्रयोजन के लिये विक्रय की जा रही है।

बीर-उ.प्र.ग.

सतिश कुमार



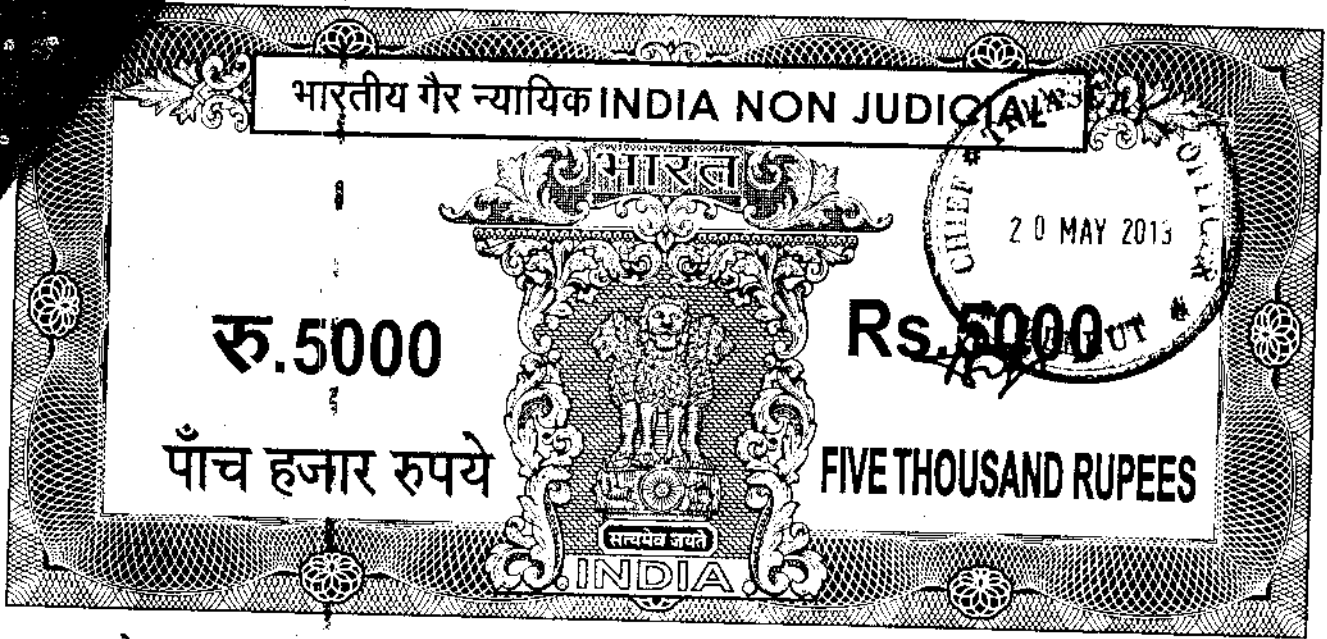
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 924207

[4]

- 3- विक्रीत कृषि भूमि समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में अंकित है, विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है तथा विक्रीत भूमि में कोई वाग या पेड़ आदि नहीं है।
- 4- विक्रीत भूमि के स्थल के लिये जिलाधिकारी महोदय मेरठ द्वारा निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार क्रमांक संख्या-165 के अनुसार सर्किल रेट अंकन 2000/- रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है जिसपर विधिवत स्टाम्प अदा किया गया है।
- 5- विक्रीत भूमि की सिंचाई प्राइवेट नलकूप से होती है जो अन्य व्यक्ति का है और विक्रय में शामिल नहीं है।
- 6- विक्रीत भूमि की 200 मीटर की परिधि में आवासीय गतिविधियां विद्यमान हैं।

नरिन्द्र कुमार सतेन्द्र कुमार



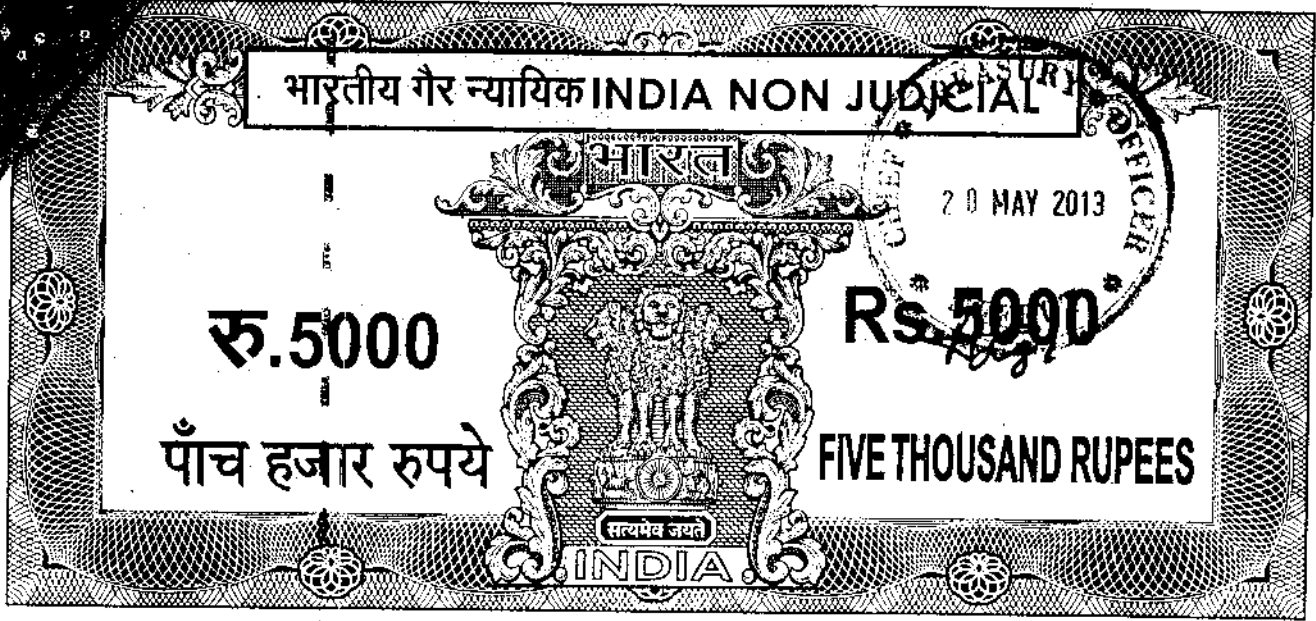
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 924208

[5]

- 7- विक्रीत भूमि में रोड से लगभग एक किलोमीटर अन्दर की ओर स्थित है।
- 8- विक्रीत सम्पत्ति पर उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-5 अधिसूचना/आदेश संख्या-सं0वि0क0 नि02756/11-2008-500(165)/2007 दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से विधिवत स्टाम्प अदा किया गया है।
- 9- विक्रय विलेख में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का अनुपालन सत्यतापूर्वक पालन किया गया है।

निरंजन कुमार सतेन्द्र कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[6]

AH 924209

10- विक्रेतागण अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं।

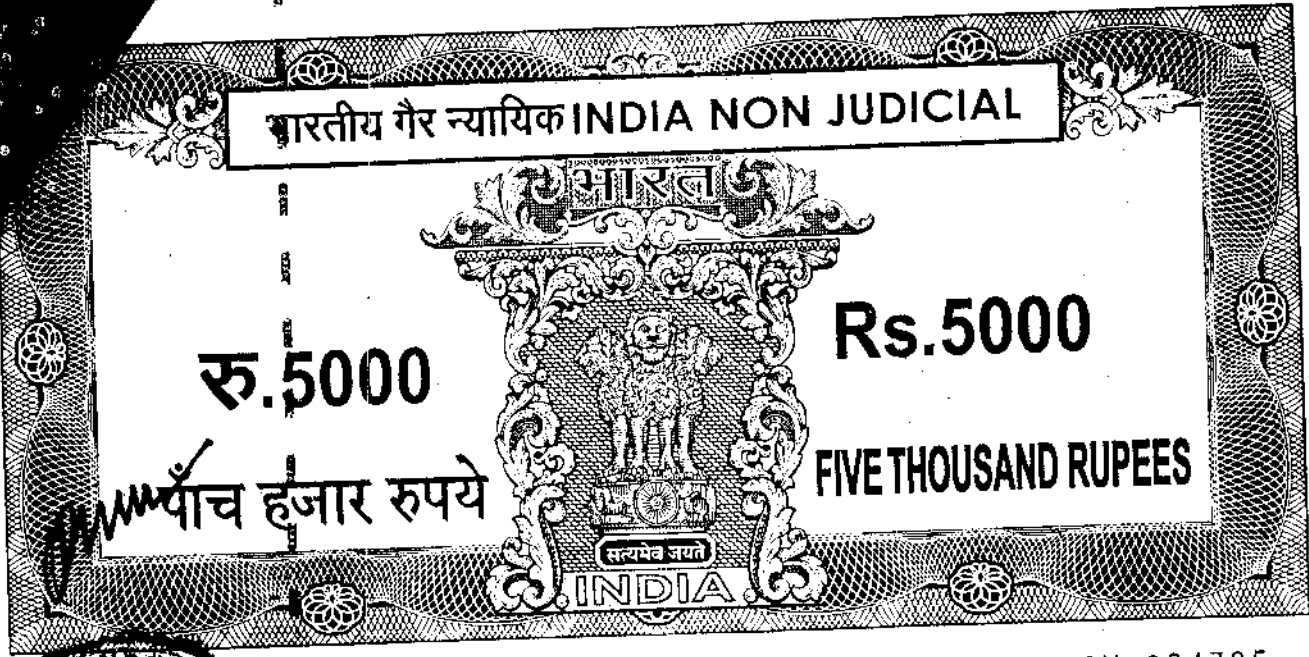
11- विक्रेतागण ने उपरोक्त भूमि भूमिधरी को धारा-157-ए जमीन विनियम के अन्तर्गत विक्रय करने की अनुमति, वाद संख्या-81/2013, वीरेन्द्र कुमार आदि बनाम सरकार, श्रीमान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ से प्राप्त कर रखी है।

12- निम्न विक्रेता मैसर्स ग्रन्थ बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा० लि० मेरठ द्वारा डायरेक्टर श्री संजीव मित्तल पुत्र श्री सुरेश चन्द मित्तल निवासी ए 5, राजकमल एन्क्लेव, दिल्ली रोड, मेरठ के तसदीकशुदा मुख्तारनाम श्री रोहन मित्तल एडवोकेट पुत्र स्व० श्री सुभाष चन्द मित्तल निवासी सी-22, सरस्वती लोक, मेरठ के जिसका मुख्तारनाम आम रिवाकेविल तसदीकी दिनांक 21.11.2012ई० को बही नम्बर-6 जिल्द संख्या-1 के पृष्ठ संख्या 103/112 में क्रमांक संख्या-21 पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय मेरठ न्याय के यहाँ पंजीकृत है।

वीरेन्द्र कुमार सतेन्द्र कुमार

[Handwritten signature]

[Redacted area]



AH 924785

[7]

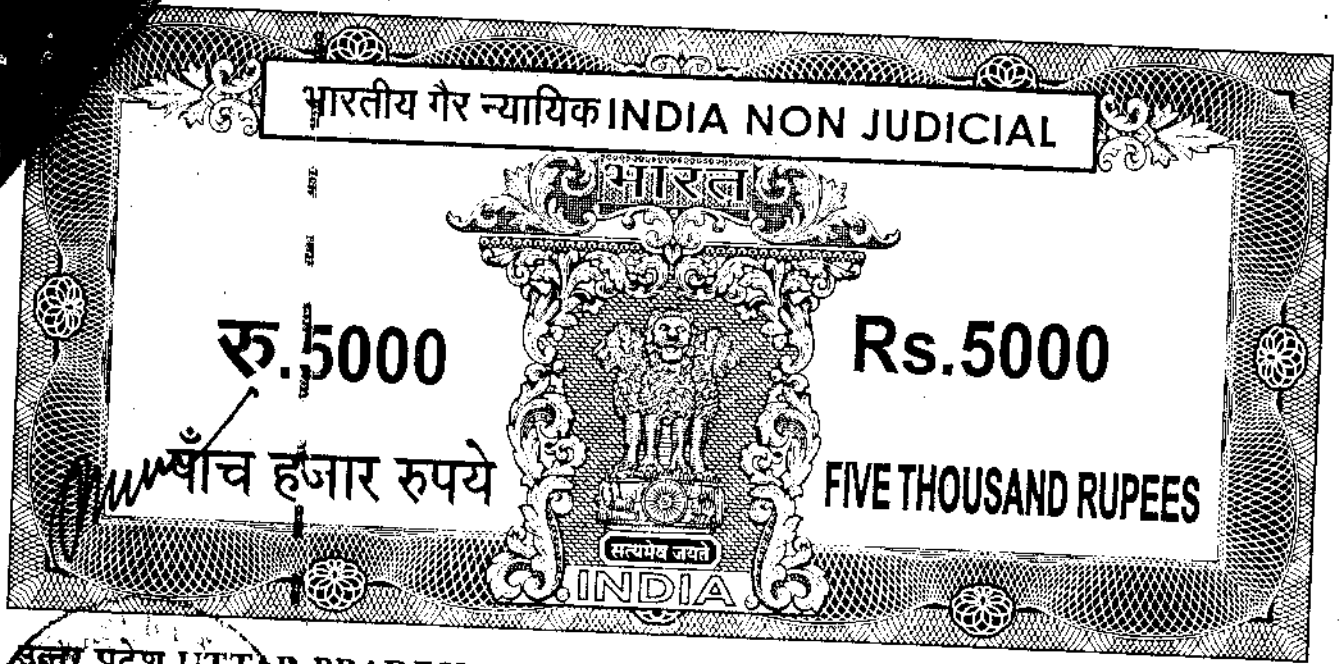
हमकि श्री वीरेन्द्र कुमार व श्री सतेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री लखमी
चन्द निवासीगण ग्राम लिसाड़ी, परगना व तहसील व जिला
मेरठ-----प्रथम पक्ष-विक्रेतागण।

एवम्

ग्रन्थ बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा०लि०, ए-5, राजकमल एन्क्लेव,
रिटानी, दिल्ली रोड, मेरठ द्वारा डायरेक्टर श्री संजीव मित्तल पुत्र
श्री सुरेश चन्द मित्तल निवासी ए-5, राजकमल एन्क्लेव, दिल्ली
रोड, मेरठ तथा कम्पनी की बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग
दिनांक 19.05.2013ई० के द्वारा श्री संजीव मित्तल को कम्पनी की
ओर से समस्त दस्तावेज हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत किया गया
है-----द्वितीय पक्ष-क्रेता कम्पनी

वीरेन्द्र कुमार

सतेन्द्र कुमार



[8]

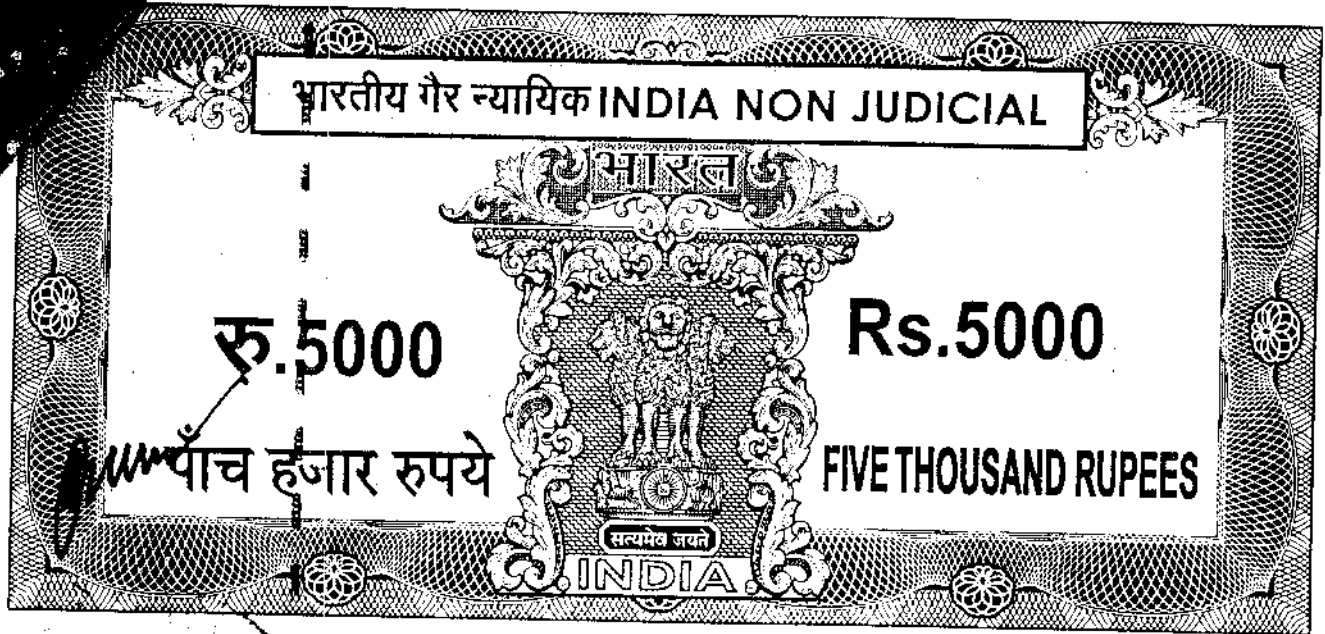
AH 924786

जोकि अपना कुल हक व हिस्सा मध्ये खसरा नम्बरान -12 क्षेत्रफल 0.0380 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर-16 क्षेत्रफल 0.0260 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर-19/6 क्षेत्रफल 0.0490 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर-22 क्षेत्रफल 0.0130 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर-23 क्षेत्रफल 0.1390 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर-26 क्षेत्रफल 0.0400 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर-30/6 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टेयर व भूमि व खसरा नम्बर-35 क्षेत्रफल 0.0130 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर-83/6 क्षेत्रफल 0.0110 हैक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर-84/10 क्षेत्रफल 0.0940 हैक्टेयर कुल नम्बरान खसरा 10 कुल क्षेत्रफल 0.4330 हैक्टेयर भूमि लगानी परता खाता सरकारी हिस्से का क्षेत्रफल अर्थात विक्रीत

नीरेश कुमार

सतेन्द्र कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AH 924787

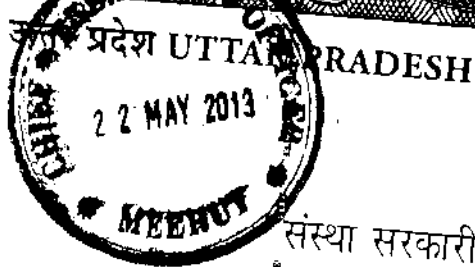
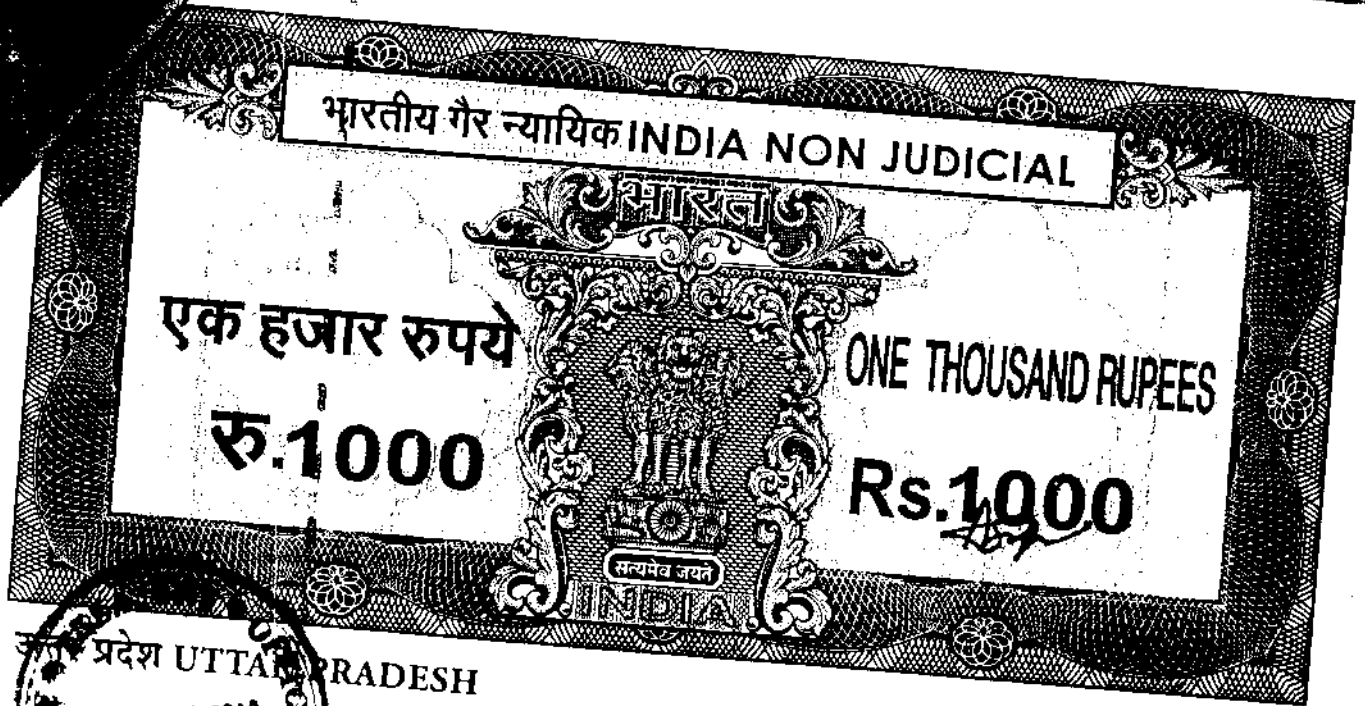
[9]

क्षेत्रफल 0.1443 हैक्टेयर भूमि मध्ये खाता संख्या-00087 स्थित
ग्राम मौहम्मदपुर गूमी, परगना व तहसील व जिला मेरठ के प्रथम
पक्ष विक्रेतागण व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा
संकमणीय भूमिधर हैं तथा प्रथम पक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में
दर्ज चला आता है। उपरोक्त भूमि-भूमिधरी आज की तिथि तक
प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार एवम वैधानिक ऋणियों एवं दोषों
आदि से मुक्त तथा रहित है और प्रथम पक्ष को पूर्ण स्वामी एवं
भूमिधरी होने के नाते उपरोक्त भूमि-भूमिधरी को विक्रयपत्र आदि
द्वारा हस्तान्तरित करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं,
कोई वैधानिक ऋण अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों में
बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि भूमिधरी की जमानत पर
कोई कर्जा या उधार किसी बैंक या सोसायटी या किसी वित्तीय

गोविंद कुमार

सत्येन्द्र कुमार





[10]

Z 493398

संस्था सरकारी या गैर सरकारी से प्राप्त नहीं कर रखा है और ना ही उपरोक्त भूमि-भूमिधरी के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उपरोक्त भूमि भूमिधरी को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि-आदि सहित बिना छोड़े हुये किसी भी अधिकार व स्वत्व के चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो स्थिर मन मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में अंकन 28,86,000/- रुपये (अट्ठाईस लाख छियासी हजार रुपये) होते हैं विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते ग्रन्थ बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा० लि०, ए-5, राजकमल एन्क्लेव, रिठानी, दिल्ली रोड, मेरठ द्वारा डायरेक्टर श्री संजीव मित्तल पुत्र श्री सुरेश चन्द मित्तल निवासी ए-5, राजकमल एन्क्लेव, दिल्ली रोड, मेरठ द्वितीय पक्ष क्रेता

वतीर ड. उपा.

सतेन्द्र कुमार

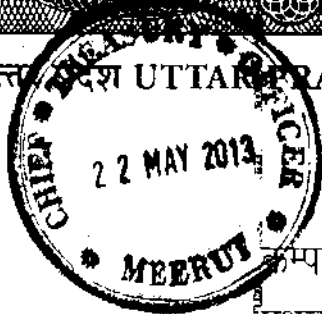
[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 493399

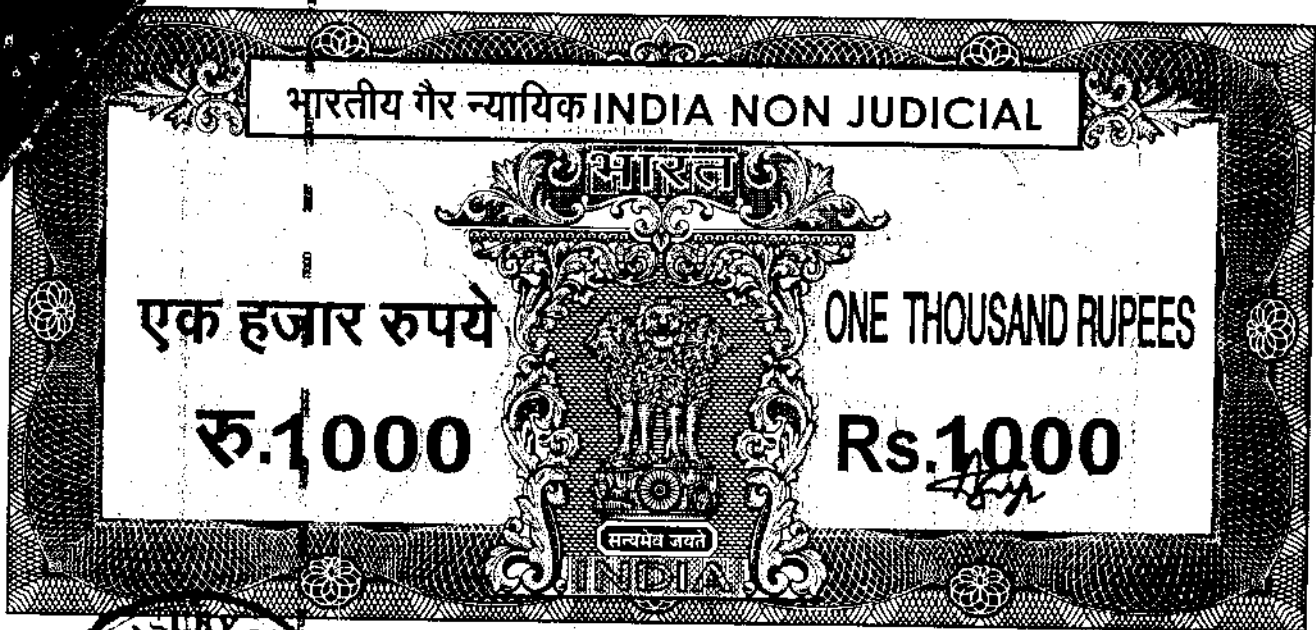
[11]



कम्पनी को विक्रय कर दी और बेच डाली और कुल जरे समन प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी से निम्न प्रकार प्राप्त करके उपरोक्त भूमि-भूमिधरी को अपने अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी, भूमिधर एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया और अब प्रथम पक्ष का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार से भविष्य के लिये भूमि-भूमिधरी से शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ यह विक्रय विलेख पूर्णतया उचित वैधानिक एवं सर्वमान्य है और प्रयोग होने योग्य है। स्थल पर अधिपत्य खाली भूमि-भूमिधरी का प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी को दे दिया है और द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी ने अपने अधिपत्य में ले लिया है। द्वितीय पक्ष क्रेता

गौरा उ. उ. पा.

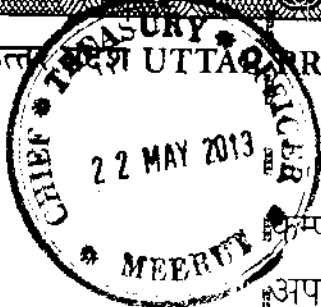
सतेन्द्र ५/१/१२



उत्तर प्रदेश UTTER PRADESH

Z 493400

[12]

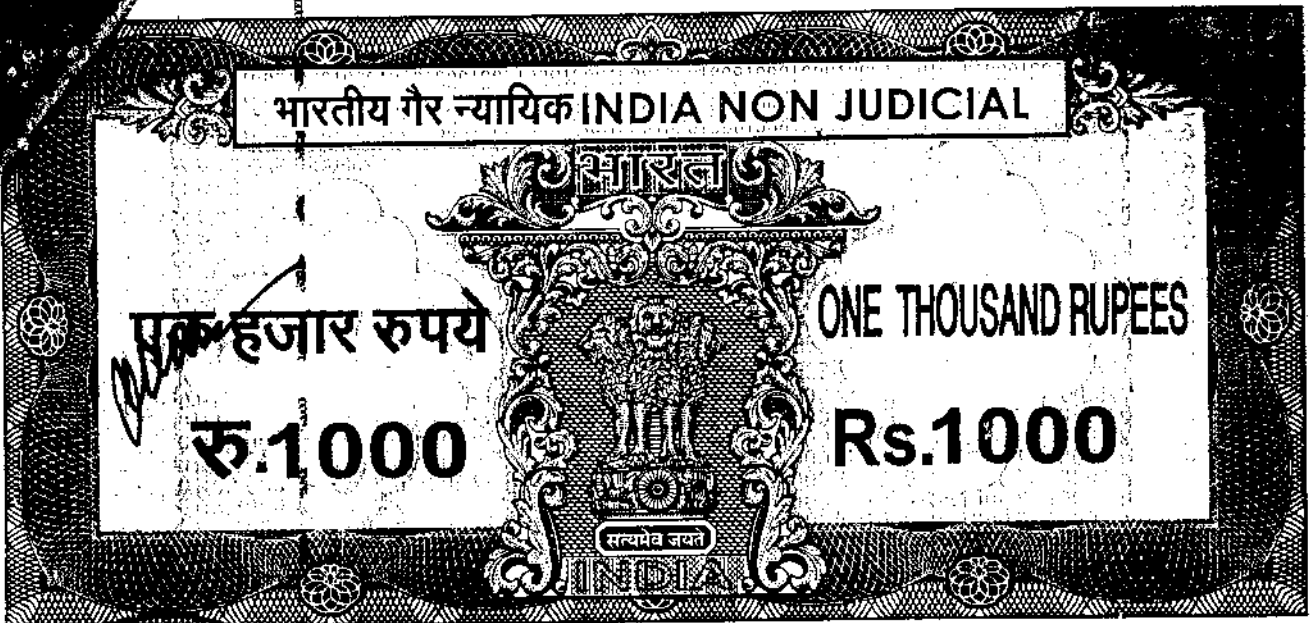


कम्पनी सरकारी कागजात माल में प्रथम पक्ष के नाम के स्थान पर अपना नाम बहैसियत मालिक दर्ज करा लेने के अधिकारी रहेंगे और कागजाल माल में नाम अंकित कराने के सम्बन्ध में अगर प्रथम पक्ष की कहीं पर भी अनुमति या दस्तखतों या व्यान हल्फी वगैरा की आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष देने के लिये पाबन्द व जिम्मेदार रहेगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रीत भूमि-भूमिधरी अथवा उसका अंश किसी वैधानिक त्रुटिवश अथवा दोषवश द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या कोई ऋण या भार विक्रीत भूमि भूमिधरी पर पाया जायेगा और द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये चुकता करना पड़ जायेगा या विक्रयपत्र मिलकियत में कमी पाये जाने के कारण

नौरी-3 कृपात

सते नू कृपात

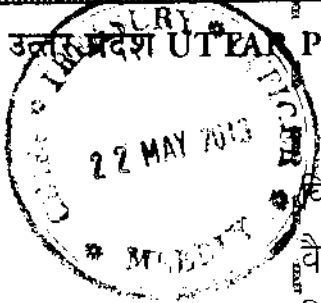
[Signature]
[Red Seal]



उत्तर प्रदेश UTTEAR PRADESH

Z 4934Q1

[13]

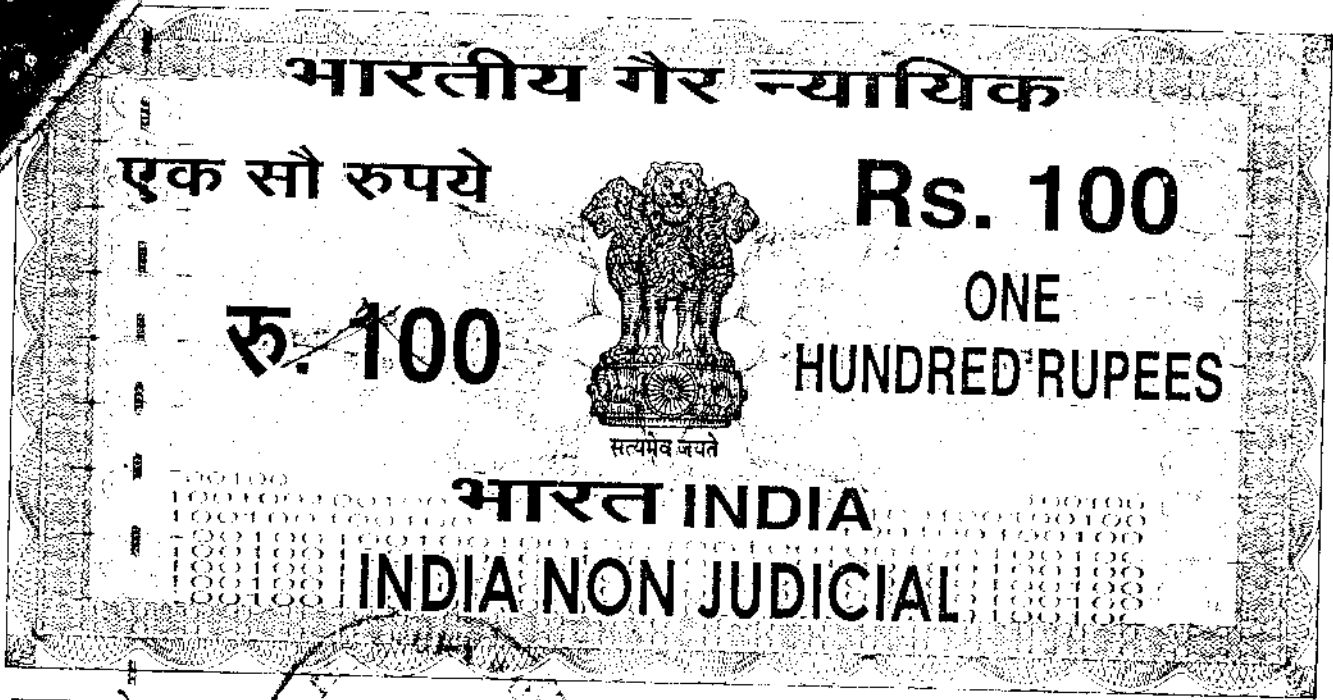


किसी न्यायालय द्वारा गलत सिद्ध हो जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी को अधिकार प्राप्त होगा कि अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो क्षति व खर्चा बैनामा व कानूनी व्याज व वाद व्यय सहित प्रथम पक्ष एवं प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारीगण की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार उचित जाने वापस प्राप्त कर लें जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः यह विक्रयपत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे। इति।।
विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य

1- अंकन 5,41,125/- रुपये द्वारा इकरारनामा मय कब्जा दिनांक-24.01.2012ई0 को प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये।

नीर-3 कुशा

सूते मृदुग/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[14]

BN 159127

- 2- अंकन 7,50,000/- रुपये द्वारा चैक संख्या-027986
दिनांक 05.10.2012ई0 मौसूमा दी साउथ इण्डियन बैंक
लि0, मेरठ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये।
- 3- अंकन 7,50,000/- रुपये द्वारा चैक संख्या-027987
दिनांक 05.10.2012ई0 मौसूमा दी साउथ इण्डियन बैंक
लि0, मेरठ प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये।
- 4- अंकन 8,44,875/- रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से
नकद प्राप्त किये।

वीर-3 कुषा

सतेन्द्र कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[15]

BN 156620

कल यो
MEERUT
हजार रुपये।

अंकन 28,86,000/- अट्ठाईस लाख छियासी

वीरेंद्र कुमार

सतेन्द्र कुमार

[Signature]

[Signature]

जि०

विनोद शर्मा डी० श्री जगदीश गुप्ता
म० न० 1454 ब्रह्मपुरी मेरठ

जि०

Rahul S/o Suresh Choud
Mulla Nagar Market

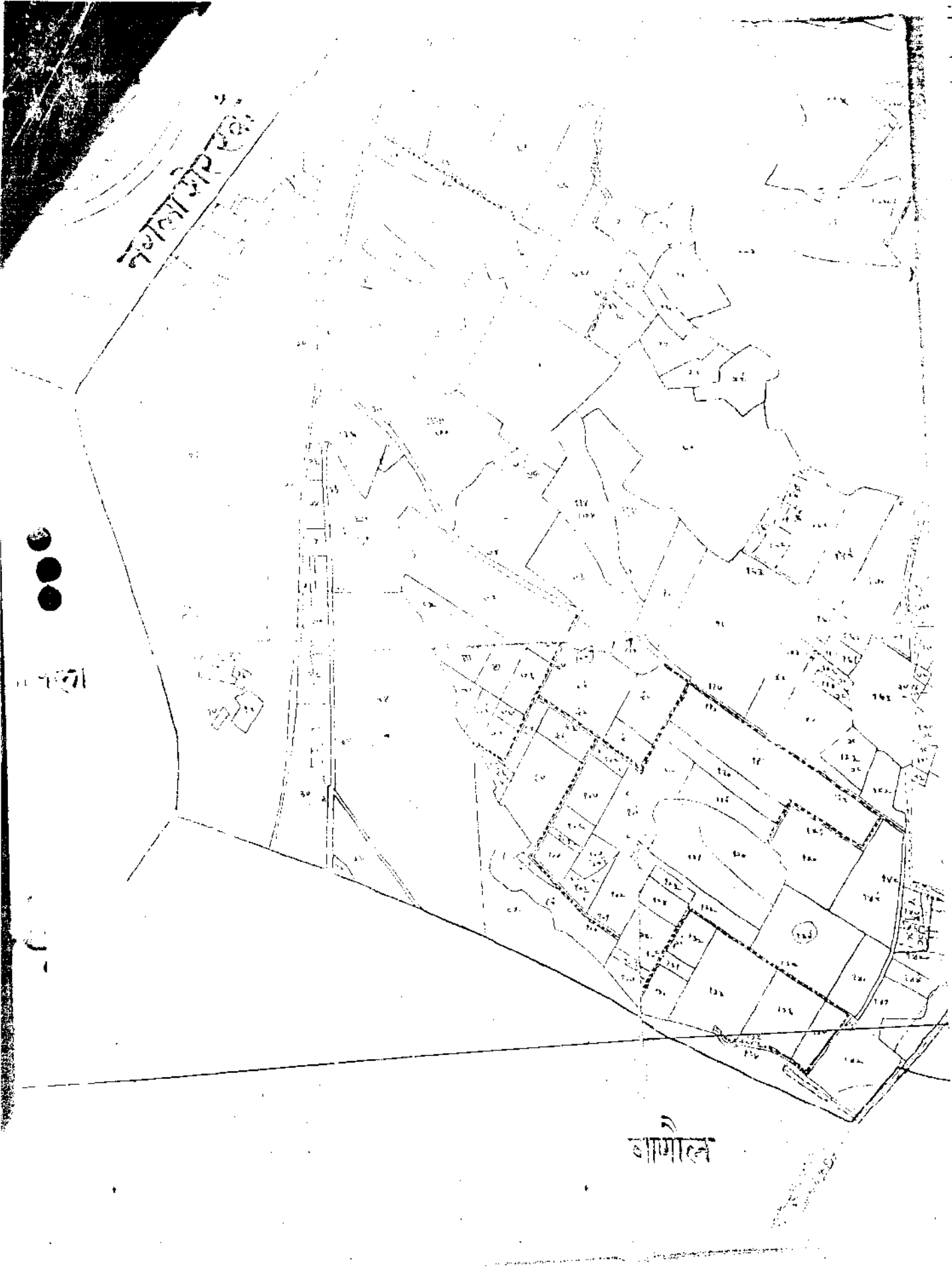
लिखित दिनांक:- 28.07.2013 ई० मसविदा श्री रोहन सित्तल,
एडवोकेट, मेरठ।



नगला मोरखी

नगला

बागौल



153000/H
 2886000/
 49200/
 202200/

END
Munro

रजिस्ट्रीकरण अधिका' के हस्ताक्षर

उपनिबन्धक द्वितीय

ਮੇਰਠ

21/11/2013

संस्कृत-विज्ञान-संस्थानम्